राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी, (नैखरी)

टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Contact no. 7417228649

e-mail: gdcchandravadni@gmail.com

Website: gdccn.ac.in

Prospectus

वर्ष-2023-24

प्रवेशार्थी निर्देशिका

राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी, (नैखरी) टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचयः

राजकीय महविद्यालय चन्द्रबदनी नैखरी, उत्तराखण्ड के चन्द्रकूट पर्वत पर स्थित चार सिद्धपीठों में एक माँ चन्द्रबदनी मन्दिर के पादुक स्थान पर विद्यमान है। महाविद्यालय समुद्रतल से 1831 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं। महाविद्यालय, उत्तराखण्ड राज्य में टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विकासखण्ड में देवप्रयाग–टिहरी मोटर मार्ग से 28 किलोमीटर आगे जामणीखाल नामक स्थान से 05 किलोमीटर की दूरी पर नैखरी नामक स्थान पर स्थित है। यह भू–भाग घने जंगलों से अच्छादित होने के कारण लगभग माह अक्टूबर से मार्च तक ठण्डा तथा माह अप्रैल से सितम्बर तक सुहावना रहता है। शहरों के कोलाहल तथा प्रदूषण से मुक्त, प्रकृति की गोद में शांत एवं शीतल वातावरण विद्यार्जन के सर्वस्व अनुकूल है। महाविद्यालय चारों ओर से बाँज, बुराँस एवं देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ एक रमणीक स्थल है। यहां से हिमालय का सुन्दर दृश्य इसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा देता है। उच्च शिखर पर स्थित होने के कारण यहां का मौसम प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यवर्द्धक एवं सुहावना है।

राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी) की स्थापना 02 अगस्त 2001 को उत्तरांचल (वर्तमान में उत्तराखण्ड) शासन के आदेश संख्या 10330/जी0एस0/2001, देहरादून, दिनांक 21 जुलाई, 2001 के अनुसार हुई।

महाविद्यालय की अक्षांशीय स्थिति 30^0 293999 उत्तरी अक्षांश तथा 78^0 610914 पूर्वी देशान्तर है। टिहरी बांध बनने के पश्चात उच्च शिक्षा पूर्ति हेतु महाविद्यालय की स्थापना वन विभाग द्वारा दी गई 0.42 हैक्टेयर भूमि पर की गई है। महाविद्यालय के भव्य प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन एवं टाईप–2 आवासीय भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा किया गया।

वर्तमान में महाविद्यालय श्रीदेवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में वर्तमान में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशस्त्र**, संस्कृत , गृह विज्ञान** एवं अंग्रजी और विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं वनस्पति विज्ञान की कक्षायें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं हिन्दी विषय की कक्षायें संचालित की जा रही है। महाविद्यालय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/ निर्देश प्रभावी होते हैं।

महाविद्यालय के उद्देश्य :

1. महाविद्यालय द्वारा पर्वतीय/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।
2. छात्र/छात्राओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से सबल बनाना तथा छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।
3. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास में सहयोग देना।
4. स्थानीय स्तर पर पर्यावरण, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता आदि कार्यक्रमों के प्रति स्थानीय जनभागीदारी बढाना।
5. महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने एवं छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शास्ता मंडल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड), छात्रसंघ, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और विभागीय परिषदों के द्वारा विशेष योगदान दिया जाना।
6. पूर्व छात्र परिषद एवं वर्तमान छात्रों के सहयोग से महाविद्यालय के विकास के लिये प्रयास करना।

वार्षिक शुल्क विवरण

राजकोष निधि	धनराशि
1. प्रवेश शुल्क	6.00
2. प्रयोगशाला शुल्क	240.00
3. विकास शुल्क	20.00
4. महंगाई शुल्क	240.00
5. शिक्षण शुल्क (केवल स्नातकोत्तर हेतु)	180.00
6. पुस्तकालय शुल्क (स्नातक हेतु)	3.00
7. पुस्तकालय शुल्क (स्नातकोत्तर हेतु)	10.00

महाविद्यालय छात्रनिधियां

1. क्रीडा शुल्क	200.00
2. छात्र संघ शुल्क	100.00
3. निर्धन छात्र सहायता	10.00
4. वाचनालय शुल्क	30.00
5. वार्षिक समारोह शुल्क	50.00
6. परिचय पत्र शुल्क	25.00
7. पत्रिका शुल्क	50.00
8. सांस्कृतिक परिषद	50.00
9. प्रांगण विकास	40.00
10. जल/विधुत व्यय	60.00
11. विविध शुल्क	100.00
12. महाविद्यालय दिवस शुल्क	20.00
13. करियर काउन्सिलिंग	30.00
14. विभागीय परिषद	50.00
15. पी0टी0ए0गठन शुल्क	30.00
16. प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00
17. प्रसाधन शुल्क	50.00
18. प्रयोगात्मक विषय शुल्क (स्नातकोत्तर हेतु)	100.00
19. कम्प्यूटर इण्टरनेट शुल्क	70.00
20. नामांकन शुल्क/परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय नियमानुार

21. यूथ रेडक्रॉस पंजीकरण शुल्क 100

कक्षा	शुल्क (बिना प्रयोगात्मक विषय)	शुल्क (प्रयोगात्मक विषय के साथ)
बी0ए0 प्रथम वर्ष	1,334.00	1,634.00
बी0ए0 द्वितीय वर्ष	1,334.00	1,634.00
बी0ए0 तृतीय वर्ष	1334.00	1634.00
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	–	(PCM) 1694-00 / ZBC 1754-00
बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष	–	(PCM) 1694-00 / ZBC 1754-00
बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष	–	(PCM) 1694-00 / ZBC 1754-00
एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर	1,521.00	1,921.00
एम0ए0 तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर	1,521.00	1,921.00

नोट– बी.ए. में भूगोल एवं गृहविज्ञान प्रयोगात्मक विषय है।

एम.ए. में भूगोल प्रयोगात्मक विषय है।

प्रवेश सम्बंधी आवश्यक निर्देशः

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

1. प्रवेश आवेदन पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है।
2. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंक तालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक है।
4. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन–पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात् आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. महाविद्यालय बिना कारण बताए किसी भी आवेदक को प्रवेश देने से मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।
6. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अन्तिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर अभ्यर्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी किन्तु कश्मीर से पुर्नस्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से अच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
8. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. पासपोर्ट साइज के नवीनतम व रंगीन फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।
10. कला संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40% व विज्ञान संकाय हेतु अर्हता परीक्षा में 45% अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5% अंकों की छूट देय होगी।
11. उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कक्षा में 90% स्थान सुरक्षित रहेंगें।

12. प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10% स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हों। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने के स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

13. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।

14. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है।

15. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं, विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।

16. संस्थागत अभ्यर्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी अन्य 03 विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जोकि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

18. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण–पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जा सके।

19. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस महाविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ होंध्ण्े।

20. छात्र/छात्राओं के स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 04 वर्ष तक ही संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वार प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।

21. जिन अभ्यर्थियों की गतिविधियां नियंतामण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

22. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

23. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगे।

24. प्रवेश निरस्त होने पर कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा।

25. फीस जमा होने के बाद विषय परिवर्तन नहीं होंगे।

26. सस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस नियम का उलंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वार उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

27. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में 30 दिनों की छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों के प्रतिशत में भी 10% की छूट देय होगी।

29. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त अभ्यर्थी को निष्कासित कर दिया जायेगा और वह कानून के दायरे में भी आ जाएगा। **प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाईट पर एण्टी रैंगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना होगा जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।**

30. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टी रैगिंग शपथ पत्र को अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय जमा करें।

31. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 02 वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी सक्षम हो।

32. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित होगा।

33. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक छः वर्ष तथा स्नातकोत्तर चार वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

34. स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार वार्षिक/सेमेस्टर प्रणाली द्वारा संचालित हो रहे हैं, प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवाय है। 75 प्रतिशत से उपस्थिति कम होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।

35. उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 : 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार – उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमण–पत्र संलग्न करने पर ही दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से है। महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगो तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रितों को निम्नानुसार उर्द्धधर (Horizontal) आरक्षण अनुमान्य किया जाएगा।

(क) महिलाएं– 30 प्रतिशत **(ख)** कार्यरत एवं केन्द्रीय गृहमंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित– 5 प्रतिशत **(ग)** विकलांग व्यक्ति– 4 प्रतिशत **(घ)** स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित– 2 प्रतिशत (जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी वर्ग में उर्द्धधर (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य होगा)। विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

36. उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों को प्रदेश में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत, जिले के जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण–पत्र जो संलग्न करने पर ही प्रवेश में आरक्षण सुविधा अनुमन्य होगी।
37. यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
38. निम्नलिखित के अन्तर्गत लाभ पाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के न्यूनतम अर्हता को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा–

    खेल–कूद(अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर) प्रमाण–पत्र, **राष्ट्रीय सेवा योजना (कैम्प एवं 240 घण्टे) प्रमाण–पत्र**, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित (पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) अथवा अवकाश प्राप्त या कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रित/युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित विषयक प्रमाण–पत्र।

39. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विकलांग आदि) के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा तथा साथ में आय प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। तभी अभ्यर्थी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

40. महाविद्यालय विवरणिका में कोई भी मुद्रण त्रुटि होती है तो अन्तिम निर्णय महाविद्यालय का होगा।

41. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय की बेबसाईट/सूचनापट्ट देखते रहें।

प्रवेश नियम

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल के नियमानुसार)

(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 हेतु)

अध्याय–1. साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (OnLine) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा कॉउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समताओं तथा OnLine प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाण–पत्र के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र की शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों यथा अधिभार आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर मूल प्रमाण–पत्रों के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उनके अभिभावकों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध **प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख)** में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर
हस्ताक्षर करने होगें। शपथ–पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के संयोजक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएगें।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जा सकता है। जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय की यथाशीघ्र प्रेषित की जायगी।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत **"धोखाधड़ी से प्रवेश लेना"** माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाफल रोक दिया जा सकता है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

1.11 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)।

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

I. Extension in date of admission upto 30 days
II. Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
III. Waiving of domicile requirement

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंको का लाभ देय होगा–

(क) एन०सी०सी० "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी–	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर–	20 अंक
(कम से कम एक सात दिवसीय विशेष शिविर एवं नियमित शिविरों में प्रतिभाग करने पर)	
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई एवं बहन–	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई/बहन–	20 अंक
(ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	50 अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर–	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल	

में प्रतिभाग करने पर– 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर– 25 अंक (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर– 25 अंक

(′) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता– 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर– 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर– 15 अंक

नोट–उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (सी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (सी०सी०) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बंधित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रैगिंग सम्बन्धी विनियम–2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण–विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय **से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)**

(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संयोजक प्रवेश समिति/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगीः–

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। **(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)**

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण **(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)**

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हुआ हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठ्न–पाठ्न प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

एकल संकाय महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषय (Two Major Subjects) का चयन निम्न विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो गए तीन विषयों से अलग होगा प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलेक्टिव पायमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	भूगोल (Geography)	समाजशास्त्र (Sociology)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	गृह विज्ञान (Home Science)	इतिहास (History)			

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलैक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्ट्रिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

गणित समूह **(Mathematics Group)**		
Group A	**Group B**	**Group C**
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry-only available subject under group C in the College) सांख्यिकी भूगर्भ विज्ञान सैन्य विज्ञान

जीव विज्ञान समूह **(Bio Group)**		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry-only available subject under group C in the College) भूगर्भ विज्ञान सैन्य विज्ञान मानव विज्ञान

.प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्ट्रिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

सत्र **2023-24** हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों का वितरण

क्र0सं0	संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अध्ययन विषय	उपलब्ध स्थान
1	कला संकाय	बी0ए0– I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	हिन्दी	120
				अंग्रेजी	120
				संस्कृत	60
				अर्थशास्त्र	120
				इतिहास	120
				भूगोल	120
				समाजशास्त्र	120
				राजनीति विज्ञान	120
				गृहविज्ञान	60
2	विज्ञान संकाय	बी0एस–सी0– I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	जन्तु विज्ञान	30
				वनस्पति विज्ञान	30
				भौतिक विज्ञान	30
				रसायन विज्ञान	60
				गणित	30

वैधानिक नियन्त्रण–

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित पेपर (Minor Elective) पेपर

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा। जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
2. तीसरे मुख्य (Major Elective) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
3. विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में दो मुख्य (Major) विषय और एक अन्य (Major Elective Subject) के क्रम में परिवर्तन कर सकता है। (अर्थात् वह पूर्व में लिए मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट को मुख्य (Major) विषय से बदल सकता है, यानि पूर्व में चार सेमेस्टर तक मेन मेजर विषय को मेजर इलेक्टिव विषय से परिवर्तित कर सकता है।)

माइनर इलेक्टिव पेपर

1. माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
2. माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
3. बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।
4. माइनर विषय का चुनाव महाविद्यालय में अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में संचालित विषयों/माइनर इलेक्टिव विषय से करना होगा तथा इसकी कक्षाएं फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ संचालित होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाऐंगी।
5. महाविद्यालय में किसी भी संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को चौथे विषय के रूप में माइनर इलेक्टिव विषय का चयन अपने संकाय को छोड़कर किसी अन्य संकाय से करना होगा।

शासनादेश सं0 46521/XXIV-C-4/2022-01(16)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2022–23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2022 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश के संलग्नक के बिन्दु सं0 5.8 में वर्णित प्राविधान–**''तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माईनर इलैक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो''** की बाध्यता को समाप्त किये जाने

हेतु व्यापक विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में सन्दर्भित बिन्दु पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2023 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 09 एंव शासनादेश सं0 324/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019 दिनांक 24.04.2023 के पत्र में वर्णित व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों (विशेषतः) एकल संकाय {Single Faculty Colleges} से कुंमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को समय–समय पर प्राप्त प्रत्यावेदनों पर व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त बाध्यता को समाप्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि विद्यार्थी द्वारा 01 (एक) ही संकाय से मेजर तथा माईनर विषयों का चयन किया जाता है तो माईनर इलैक्टिव विषय को मेजर विषय से भिन्न होना अनिवार्य होगा।(ख) सर्वसम्मति से यह भी निणर्य लिया गया कि माईनर इलैक्टिव विषयों का चयन विद्यार्थी द्वारा उसके परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में उपलब्ध संसाधनो के आधार पर ही किया जा सकेगा। प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने परिसर में केवल उन्हीं माईनर इलैक्टिव विषयों को चयन हेतु प्रस्तावित किया जायेगा जो उनके द्वारा स्वयं संचालित किये जा सके।

(ग) विद्यार्थियों को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

(घ) विद्यार्थी अपना चतुर्थ विषय (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफार्मों से भी समान क्रेडिट (04) के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते है।

(ड़) सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि ''सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व'' (Community Engagement and Social Responsibility) वाले प्रश्न–पत्र को स्नातक स्तर के समस्त विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य करना होगा तभी स्नातक उपाधि प्रदान की जायेगी।

1. उत्तराखण्ड राज्य हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्मित समस्त पाठ्यक्रमों को कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से एवं ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर गहन विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त पाठ्यक्रमों को समस्त हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किये जाने हेतु तथा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सूची के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य पाठ्यक्रमों को भी कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यहाँ यह भी निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना (Structure) पूर्व निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों के अनुसार ही होगी। इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र Public Domain में समस्त हितधारकों (Stakeholders) के सुझाव हेतु उपलब्ध करा दिया जाये।
2. बैठक में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सेमेस्टर में कौशल विकास पाठ्यक्रमों (Vocational/ Skill Development Courses) के चयन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों उत्पन्न हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापक विचार विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि

विद्यार्थियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रमों का चयन प्रगतिशील प्रणाली (Progressive Mode) में किया जायेगा। पाठ्यक्रमों का चयन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकेगा–

1. विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से संचालित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।
2. कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।
3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।

भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफार्मो (जैसे SWAYAM/AICTE/IIT/MOOCS/NPTELetc.) द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चारो माध्यमों से विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रमों को विभिन्न बास्केट में सम्मिलित करते हुए व्यापक छात्रहित में इसका समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना भी आवश्यक होगा।

4. बैठक में उपस्थित कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु आरम्भिक योजना के अर्न्तगत कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा वित्त, सूचना प्रोद्योगिकी कृषि इत्यादि विषयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यक्रमों की कक्षाओं एवं परीक्षाओं का संचालन सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा अपने संसाधनों का

   प्रयोग करते हेतु किया जायेगा जिसका क्रेडिट निर्धारित उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 46521/XXIV-C-4/2022-01(06)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के उपरान्त कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके उपरान्त विद्यार्थी का परीक्षाफल घोषित करते हुए विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंको/क्रेडिट प्वाईन्ट इत्यादि को सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय को यथासमय उपलब्ध किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमानित शुल्क 500.00 (पाँच सौ मात्र) प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ्य सामाग्री भी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान की जायेगी। यदि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री साफ्ट कॉपी के **रूप में प्राप्त की जाती है तो उन्हें उपरोक्त शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जायेगी।**

Co-Curricular

1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक सह–पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी को ग्रेड सीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत् होंगे–

प्रथम सेमेस्टर	:	सम्पर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्रीमद्भागवत गीता में प्रबन्धन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/रामचरितमानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्टम सेमेस्टर	:	भारतीय पारम्परिक ज्ञान का सार/विवेकानन्द अध्ययन

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण–

1. वर्तमान में महाविद्यालय में निम्न विषयों में सेमेस्टर प्रणाली (Semester System) के अन्तर्गत एम0ए0 तीन विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है–

परास्नातक पाठ्यक्रम (Post Graduate Programme) में वि0वि0 द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या–	
क्र0सं0	कला संकाय (Art Faculty)
1	भूगोल (30सीट) **Geography**
2	हिन्दी (30सीट) **Hindi**
3	राजनीति विज्ञान (30सीट) **Political Science**

स्नातकोत्तर कक्षा में भूगोल प्रयोगात्मक विषय में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य होगा जिसने बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में भूगोल विषय को पढ़ा हो।

2. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता श्री देव सुमन विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी0ए0 या समकक्ष परीक्षा में 40% अंको से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए प्रवेश अर्हता में 5% की छूट देय होगी।
3. आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय, जिसमें प्रवेश ले रहा हो, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 05 अंक एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण को 03 अंक का लाभ वरीयता सूची तैयार करते समय दिया जायेगा।
4. व्यक्तिगत परीक्षा (स्नातक/समकक्ष) के पश्चात् छात्र यदि एम0ए0 में संस्थागत प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अर्ह परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

उपस्थिति निर्धारण

विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। जिसके लिए छात्र/छात्राऐं स्वयं जिम्मेदार होगें।

यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है। ऐसे छात्र/छात्राओं को पुनः कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात् 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।

आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय द्वारा निर्गत आन्तरिक परीक्षा (Internal Exam) समय सारिणी के अनुसार ही सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। जो परीक्षार्थी आन्तरिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओ के लिएं महाविद्यालय मे प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, सावधि, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

नियंता/शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षणिक वातारण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। नियंता/शास्त मण्डल का संयोजक मुख्य नियंता/शास्ता (Chief Proctor) होता है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक नियंता/शास्ता मण्डल के सदस्य होगें। नियंता/शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर नियंता/शास्ता मण्डल सम्बन्धित अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

महाविद्यालय परिसर में अभ्यर्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और न ही बल प्रयोग करें। यदि कोई शिकायत हो तो प्राचार्य/नियंता/शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें। ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराधः–

1. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना
2. महाविद्यालय में आये किसी भी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण व कार्यालयी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था एवं अनुशासन को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।

6. परिसर में किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारधार का प्रचार–प्रसार।
7. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
8. बिना अनुमति महाविद्यालय परिसर में लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
9. आपत्ति जनक वस्तुओं एवं पदार्थों को रखना एवं वितरण।

निषेधः–

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना या गंदा करना और उन पर विज्ञापन इश्तहार लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई, झगड़ा–मारपीठ, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना, बाहरी व्यक्तियों को परिसर में लाना।
5. महाविद्यालय परिसर में च्युइंगम चबाना, पान मसाला खाना।
6. कक्षाओं में मोबाइल फोन का प्रयोग करना।
7. महाविद्यालय में अधिकारी/नियंता/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा परिचय पत्र मांगने पर दिखाने से इनकार करना।

   जो भी विद्यार्थी उक्त अपराध एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित एवं निष्काषित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

रैगिंग रोकथाम विषयकः–

महाविद्यालय में रैगिंक की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैंगिंग के प्रभावशाली रोकथाम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च, 2009 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में पत्र सं0– 310/04 एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है–

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes of is likely to cause embarrassment, annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apperehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or

perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

1. रैगिंग के लिये उकसाना
2. रैगिंग के लिये अपराध षडयंत्र
3. रैंगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना।
4. रैंगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
5. रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
6. रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
7. अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करना।
8. आपराधिक बल का प्रयोग करना।
9. साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
10. जबरन वसूली।
11. आपराधिक अतिक्रमण।
12. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
13. रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

दण्डः—

महाविद्यालय की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गए व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में से एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. निरस्तीकरण।
7. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश के वंचित किया जाना।
8. **25000/-** का जुर्माना।

9. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाए तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

National Anti- Ragging Helpline no.- 1800-180-5522

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापः–

1. क्रीडा परिषद (Sport Council):–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जिसमें समस्त छात्र/छात्रओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रावधान है प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय क्रीड़ा केलैण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम घोषित करता है। वि0वि0 में होने वाले कुछ खेल महाविद्यालय भी संचालित करता है। प्रशिक्षित टीम वि0वि0 खेलों में भाग लेती है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S):–

महाविद्यालय में रा0से0यो0 की एक यूनिट के अन्तर्गत 100 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक स्वयंसेवी को कम–से–कम एक सात दिवसीय विशेष (रात–दिन) शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण विकास, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, मद्य निषेध, एड्स जागरूकता, स्पर्श गंगा अभियान, रक्त दान जागरूकता रैली आदि राष्ट्रीय महत्व के क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों (स्नातक प्रथम एंव द्वितीय वर्ष) में पंजीकरण करा सकते हैं।

3. विभागीय परिषद (Departmental Council) :–

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय की एक विभागीय परिषद होती है उस विषय को पढ़ने वाले समस्त छात्र/छात्राएं उस परिषद के सदस्य होते है। जिसमें भौतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रम भी सम्पन्न किये जाते हैं।

4. सांस्कृतिक परिषद (Cultural Council) :–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में नाट्य, नृत्य एवं लोक–कलाओं के विकास तथा प्रस्तुतिकरण आदि कार्य महाविद्यालय सांस्कृतिक परिषद करती है।

5. महाविद्यालय–पत्रिका (College Magazine) :–

महाविद्यालय की पत्रिका **"अभ्युदय"**के प्रकाशन का उद्देश्य छात्र/छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं रचनात्मक प्रतिभा का विकास करना है। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे पत्रिका में प्रकाशन हेतु एक मौलिक, स्वरचित और आकर्षक रचना पहले से तैयार रखें।

6. महाविद्यालय कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल :–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के रोजगार परक मार्गदर्शन अतः विषय चयन में सहायता देने हेतु महाविद्यालय कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल कार्यरत है। इस सेल में विषय चयन मार्गदर्शन के साथ छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

7. एडूसेट केन्द (EDUSAT) :–

महाविद्यालय में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों के आधार पर एडूसेट केन्द्र की स्थापना भी की गई है। इसमें सेटेलाइट प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों का लाभ इस केन्द्र से छात्र/छात्राएं लेते हैं।

8. महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ (Women Cell) :–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न के रोकथाम हेतु महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उक्त समिति महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना संज्ञान में लेती है एवं कार्यवाही करती है।

9. आपदा प्रबन्धन समिति (Disaster Management Committee) :–

महाविद्यालय में आपदा प्रबन्धन समिति का भी गठन किया गया है जो छात्र/छात्राओं को एन0एस0एस0 एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन एवं बचाव हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं।

10. एंटीरैगिंग प्रकोष्ठ (Anti-ragging Cell) :–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी समिति गठित की गई जो रैंगिग जैसी अवानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करती है। दोषी पाये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

11. धूम्रपान निषेध प्रकोष्ठ (Smoking Prohibition) :–

शासन के आदेश सं0 166/xxxiv(6)/2010 दिनांक 06 मई, 2010 जिसके द्वारा धूम्रपान प्रतिबन्धित किया गया है, के अनुपालन में महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है परिसर में धूम्रपान पूर्णतः निषेध है।

12. पूर्व छात्र संगठन (Alumni) :–

वर्ष 2017–18 से महाविद्यालय के हित में पूर्व छात्र संगठन का गठन किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई–बहन अथवा सम्बंधी इस महाविद्यालय के छात्र/छात्रा रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों तो इसकी सूचना महाविद्यालय से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् भरकर कार्यालय में जमा करेंगे।

13. शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) :-

वर्ष 2017–18 से महाविद्यालय के हित में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन किया गया। प्रत्येक सत्र में महाविद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का गठन महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों का योगदान प्राप्त करने के लिए किया गया है। सत्र के दौरान समय–समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित कर महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

14. छात्र–संघ (Student Union) :–

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश सं0 S.L.P. (CIVIL) No. 24295/2004/ दिनांक 24–06–2004 जो महाधिवक्ता, भारत सरकार के पत्र सं0–4240 दिनांक 23–10–2006 द्वारा अधिसूचित एवं शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/xxiv(6)/200, 3(168)2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में है जो महाविद्यालय में भी निम्नवत् लागू है।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से छः से आठ सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्र–संघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर बी0ए0 कक्षाओं तक 17–22 वर्ष की आयु सीमा लागू

होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचन हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्या निर्वाचन होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा।

समस्त व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड शासन का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगी, साथ ही चुनाव आचार–संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पद्च्युत भी किया जा सकेगा।

15. परिचय–पत्र (Identity Card) :–

महाविद्यालय में संस्था के प्रमाणित छात्र/छात्रा होने के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय–पत्र रखना अति आवश्यक होगा। यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है, और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जाएगा। अतः परिचय–पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखे।

परिचय–पत्र खो जाने पर उसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दे तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर निर्धारित शुल्क जमा करने पर दूसरी प्रति निर्गत की जाएगी। अतः विद्यार्थी को शुल्क रसीद भली प्रकार सुरक्षित रखनी चाहिए।

पोषक इण्टर कॉलेजों की सूचीः–

1. राजकीय इण्टर कॉलेज, अन्जनीसैण, टिहरी गढ़वाल
2. राजकीय इण्टर कॉलेज, पौड़ीखाल, टिहरी गढ़वाल
3. जनता जय भारत इण्टर कॉलेज, जामणीखाल, टिहरी गढ़वाल
4. जय किसान इण्टर कॉलेज, रौडधार, टिहरी गढ़वाल
5. राजकीय इण्टर कॉलेज, जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल
6. राजकीय इण्टर कॉलेज, कपरैणीसैण, टिहरी गढ़वाल
7. राजकीय इण्टर कॉलेज, भरेटीधार, टिहरी गढ़वाल
8. राजकीय इण्टर कॉलेज, राधुधार, टिहरी गढ़वाल
9. राजकीय इण्टर कॉलेज, रणसोलीधार, टिहरी गढ़वाल।
10. राजकीय इण्टर कॉलेज, बगड़वालधार, टिहरी गढ़वाल।
11. राजकीय इण्टर कॉलेज, कुण्डभरपुरखाल, टिहरी गढ़वाल।
12. राजकीय इण्टर कॉलेज, हिण्डोलाखाल, टिहरी गढ़वाल।
13. राजकीय इण्टर कॉलेज, पलेठी बनगढ़, टिहरी गढ़वाल।
14. राजकीय इण्टर कॉलेज, हिसरियाखाल, टिहरी गढ़वाल।
15. राजकीय इण्टर कॉलेज, ललूड़ीखाल, टिहरी गढ़वाल।

16. राजकीय इण्टर कॉलेज, सिवालीधार, टिहरी गढ़वाल।

17. राजकीय इण्टर कॉलेज, गौमुख, टिहरी गढ़वाल।

18. राजकीय इण्टर कॉलेज, दूरोगी, टिहरी गढ़वाल।

19. राजकीय इण्टर कॉलेज, महड़जाली, टिहरी गढ़वाल।

आवेदक द्वारा शपथ पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....
.....शपथ पूर्वक प्रतिक्षा करता/करती हूं कि जब तक महाविद्यालय में अध्ययन करूंगा/करूंगी, अपना आचरण एवं व्यवहार शिष्ट रखूंगा/रखूंगी। मेरे प्रवेश आवेदन–पत्र में अंकित सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वादा विचाराधीन नहीं है। इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त मैंने किसी अन्य पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश नहीं लिया है। यदि मेरा आचरण महाविद्यालय की गरिमा के प्रतिकूल होगा तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं

दिनांक

पता .....

.....

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती.....
   ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं–
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/ होऊँगी जो रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिंग में लिप्त नहीं होऊँगा/ होऊँगी, उसको प्रात्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्रीमती.....
   ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूं कि मेरी पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूं कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

कार्यालय एन0एस0एस0, राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी)

टिहरी गढ़वाल

सत्र 2023–24 में प्रवेश लेने वाले बी0ए0 / बी0एस0सी0 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023–24 के लिए राष्टीय सेवा योजना ईकाई हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के इच्छुक छात्र–छात्रायें आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न शर्तो को भलीभाति पढ़कर आवेदन पत्र को भरे।

1 सत्र 2023–24 में कुल 05 नियमित शिविर अलग–अलग से आयोजित किये जायेंगे जिसमें कुल 120 धण्टे श्रमदान, बौद्धिक सत्र आदि क्रिया–कलाप में भाग लेना अनिवार्य है।

2 सत्र के अन्त में 7 दिवसीय दिन–रात का विशेष शिविर आयोजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवी छात्र–छात्रा को 7 दिन शिविर में रात्रि विश्राम सहित रहना अनिवार्य है।

लाभ–

1. महाविद्यालय प्रवेश के समय यदि छात्र–छात्रा के पास एन0एस0एस0 के ए,बी,सी प्रमाण–पत्र है तो प्रवेश मे वरीयता दी जायेगी।
2. बी0एड0 में प्रवेश के समय वरीयता अंक में लाभ।

कार्यक्रम अधिकारी
राष्टीय सेवा योजना
राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी, (नैखरी)
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

कार्यालय एन0एस0एस0 राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी) टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड

कमांक..... प्रथम प्रति
(कार्यालय हेतु)
राष्ट्रीय सेवा योजना
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय

निवेश–पत्र

दूरभाष नं0.....

1. संस्था/महाविद्यालय का नाम–
   राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी, टिहरी गढ़वाल
2. विद्यार्थी का नाम.....
3. पिता का नाम श्री.....
4. माता का नाम–.....
5. जन्मतिथि.....
   लिंग–पुरुष/महिला.....
6. जाति–सामान्य/अनुसूचित जाति/
   अनुसूचित जन जाति.....
7. कक्षा.....
8. कक्षा में प्रवेश की तिथि.....
   एवं रसीद संख्या.....
9. स्थायी पता.....
   .....
10. पत्राचार हेतु पता.....
    .....
11. सामाजिक सेवा का पूर्व अनुभव.....
    .....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर | कार्य0अधि0 के हस्ताक्षर | प्राचार्य के हस्ताक्षर

कमांक.....द्वितीय प्रति
(कार्यालय हेतु)
राष्ट्रीय सेवा योजना
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय

निवेश–पत्र

दूरभाष नं0.....

1. संस्था/महाविद्यालय का नाम–
   राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी, टिहरी गढ़वाल
2. विद्यार्थी का नाम.....
3. पिता का नाम श्री.....
4. माता का नाम–.....
5. जन्मतिथि.....
   लिंग–पुरुष/महिला.....
6. जाति–सामान्य/अनुसूचित जाति/
   अनुसूचित जन जाति.....
7. कक्षा.....
8. कक्षा में प्रवेश की तिथि.....
   एवं रसीद संख्या.....
9. स्थायी पता.....
   .....
10. पत्राचार हेतु पता.....
    .....
11. सामाजिक सेवा का पूर्व अनुभव.....
    .....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर | कार्य0अधि0 के हस्ताक्षर | प्राचार्य के हस्ताक्षर

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य - डॉ महंथ मौर्य **दूरभाष :–7417228649**

क्र0 सं0	कला संकाय	क्र0 सं0	विज्ञान संकाय
1	हिन्दी : 1. श्री अरविन्द सिंह राणा (विभाग प्रभारी) 2. श्री मनीष पँवार 3. श्री पंकज पुंडीर	2	भौतिक विज्ञान : 1. डॉ0 ऋचा गहलौत (विभाग प्रभारी)
3	अंग्रेजी : 1. डॉ0 वर्षा वर्मा (विभाग प्रभारी)	4	रसायन विज्ञान : 1. डॉ0 देवेन्द्र रावत (विभाग प्रभारी)
5	संस्कृत : 1. डॉ0 सचिन सेमवाल (विभाग प्रभारी)	6	गणित: 1. श्री शाकिर शाह (विभाग प्रभारी)
7	इतिहास : 1. डॉ0 सुषमा चमोली (विभाग प्रभारी)	8	जन्तु विज्ञान : 1. डॉ0 विनोद कुमार रावत (विभाग प्रभारी)
9	राजनीति विज्ञान :	10	वनस्पति विज्ञान :

	1. सुश्री वंदना (विभाग प्रभारी) 2. श्री अमित शर्मा 3. श्री गौरव सिंह नेगी		1. सुश्री अनुपा फोनिया (विभाग प्रभारी)
11	समाजशास्त्र :– 1. डॉ0 प्रताप सिंह बिष्ट (विभाग प्रभारी)		
12	भूगोल :– 1. डॉ0 गुरु प्रसाद थपलियाल 2- डॉ आशुतोष जंगवाण 3. श्रीमती सौम्या कबटियाल		
13	अर्थशास्त्र :– 1. श्री आशुतोष कुमार (विभाग प्रभारी)		
14	गृहविज्ञान :– डॉ0 आशा पांडे (विभाग प्रभारी)		

कार्यालय :–

1. श्री विजय प्रकाश बागडी	कार्यालय प्रभारी
2. श्री पवन कुमार	प्रयोगशाला सहायक, जन्तु विज्ञान
3.. श्री उत्तम सिंह	पुस्तकालय लिपिक
4. श्री अजय सिंह लिंगवाल	प्रयोगशाला सहायक, भूगोल विभाग
5. श्री भुवनेश सिंह	अनुसेवक
6. श्री दिनेश सिंह पुंडीर	अनुसेवक
7. श्री चैन सिंह	अनुसेवक
8. श्री अकलेश कुमार	अनुसेवक
9. श्रीमती लक्ष्मी देवी	स्वच्छक / चौकीदार